न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 28 सन 2019
अनवान :–

1. मोडूदास 2 गोपीराम पि0 मेधाराम जाति कामड साकिन रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 18/3/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 88/68 की कुल 0.759हैक भूमि सायल के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है।

उक्त भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सायल का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु सायल की जाति सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।

सायल की जाति कामड है जबकि राजस्व रिकार्ड में सायल की जाति चमार अंकित है जो गलत है सायल अपनी जाति चमार के स्थान कामड सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल के अन्य सभी दस्तावेजात में जाति कामड अंकित है ।

सायल की जाति राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त नही हो पा रही है इसलिये सायल अपनी जाति चमार के स्थान पर कामड राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में सायल का निवास स्थान संशोधन करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 88/68 की कुल 0.759हैक भूमि सायल के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है।

उक्त भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सायल का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु सायल की जाति सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।

सायल की जाति कामड है जबकि राजस्व रिकार्ड में सायल की जाति चमार अंकित है जो गलत है सायल अपनी जाति चमार के स्थान कामड सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल के अन्य सभी दस्तावेजात में जाति कामड अंकित है ।

सायल की जाति राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नही हो पा रही है इसलिये सायल अपनी जाति चमार के स्थान पर कामड राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया की रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 88/68 की कुल 0.759हैक्ट भूमि सायल के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है जिसमें सायल की जाति चमार अंकित है।

सायल का कथन है सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है किन्तु जाति गलत तौर से दर्ज है जिसे सही करवाना चाहता है।

सायल ने अपने कथनों के समर्थन में खोलानामा की प्रति पेश की गई जिसमें सायलान को मेधाराम के खोला लिया गया था जिसके आधार पर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है जिसमें सायलान की जाति कामड दर्ज है खोलानामा एक रजिस्टर दस्तावेज है जिसमें अंकित तथ्यों से इन्कार नही किया जा सकता है अर्थात सायलान की जाति कामड है राजस्व रिकार्ड में अंकन करते समय सायलान की जाति सहवन से चमार अंकित हुई है जो संशोधन योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 88/68 की कुल 0.759हैक्ट भूमि में सायलान की जाति चमार अंकित है के स्थान पर जाति कामड संशोधन की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 8/3/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया। ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 136 LRA/28 दिनांक :– 18/03/2021

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 28 / 2019 अनवानी मोडुराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. मोडूदास 2 गोपीराम पि0 मेधाराम जाति कामड साकिन रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 27 / 2019 अनवानी मोडुराम बनाम सरकार में दिनांक 18/3/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 88 / 68 की कुल 0.759हैक्ट भूमि में सायलान की जाति चमार अंकित है के स्थान पर जाति कामड संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर